

झारखण्ड उच्च न्यायालय राँची में

डब्ल्यू0पी0 (सी0) संख्या 2639 वर्ष 2020

योगेंद्र कुमार बेदिया

.. याचिकाकर्ता

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य
2. उपायुक्त, बोकारो
3. अनुमण्डल पदाधिकारी, तेनुघाट, जिला-बोकारो
4. अंचलाधिकारी, गोमिया, जिला-बोकारो
5. हलका कर्मचारी, गोमिया, जिला-बोकारो

.... उत्तरदातागण

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री राजेश शंकर

याचिकाकर्ता के लिए:

श्री प्रवीण कुमार राणा, अधिवक्ता

राज्य के लिए:

सुश्री प्रीति प्रियमवदा, जी0पी0वी0 के ए0सी0

आदेश संख्या 4

दिनांक:06/01/2021

इस मामले को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लिया जाता है।

याचिकाकर्ता, जो खुद को दर्ज काश्तकार स्वर्गीय साहू बेदिया का कानूनी उत्तराधिकारी होने का दावा कर रहा है, ने 13 मार्च, 2019 को अपने अभ्यावेदन का निष्पादन करने के लिए प्रतिवादी संख्या 4 पर निर्देश जारी करने के लिए वर्तमान रिट

याचिका दायर किया है (रिट याचिका का अनुबंध 2) जो आर0एस0 खाता संख्या 01, भूखंड संख्या 855, थाना-महुआटांड, थाना संख्या-52, क्षेत्रफल-6 एकड़, मौजा-सिमराबेरा, जिला-बोकारो से संबंधित भूमि के संबंध में लगान रसीद जारी करने के लिए दायर की गई।

पक्षकारों के लिए विद्वान अधिवक्ता को सुनने और याचिकाकर्ता की पूर्वोक्त सीमित प्रार्थना को ध्यान में रखते हुए, मामले की योग्यता में प्रवेश किए बिना, याचिकाकर्ता को प्रतिवादी संख्या 4 से पहले वर्तमान मुद्दे पर एक नया अभ्यावेदन दायर करने की स्वतंत्रता दी जाती है। उक्त अभ्यावेदन प्राप्त होने पर, प्रतिवादी संख्या 4 उचित जांच करने के बाद और याचिकाकर्ता/उसके प्रतिनिधि के साथ-साथ किसी अन्य संबंधित व्यक्ति को विचाराधीन भूमि के संबंध में सुनवाई का अवसर प्रदान करने पर, अभ्यावेदन दाखिल करने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर कानून के अनुसार एक उचित निर्णय लेंगे।

रिट याचिका को पूर्वोक्त स्वतंत्रता और निर्देश के साथ निपटाया जाता है।

(राजेश शंकर, न्याया0)